

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

---: कार्यालय आदेश ---

निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) की उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान से वेतन आहरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	नाम व्याख्याता मय कार्यरत स्थान	अवधि	राजमावि/राजउमावि जहाँ से वेतन आहरित किया जाना है।
1	श्री कमलेश कुमार व्याख्याता संस्कृत, राजमावि बादसर, लक्षमणगढ, सीकर	सितम्बर-2021 से आगामी आदेश तक	राजमावि बालरासर, आथुणा, चूरु में व्याख्याता संस्कृत साहित्य के रिक्त पद विरुद्ध।

उपरोक्त अवधि में संबंधित कार्मिक द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपयोग किया है तो उक्त अवकाश प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावे।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्थ/सी-1/वेतन व्यवस्था/2020-21
प्रतिलिपि निम्न को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत

1. संबंधित संयुक्त निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक)
3. संबंधित प्रधानाचार्य
4. संबंधित कार्मिक
5. सिस्टम एनालिस्ट
6. रक्षित पत्रावली

दिनांक : 5/10/2021

सत्यमेव जयते

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर